Australian Aid

Water For Women

कोविड-19 की महामारी : सीमांत समूहों और आबादी पर इसके प्रभाव को समझना

पैनल 1, 2 और 3 की रिपोर्ट

28-29 मई, 2020

Centre for Advocacy and Research

पैनल 1 : कोविड-19 और जेन्डर जस्टिस (लैंगिक न्याय): क्या इस बारे में प्रयास पर्याप्त है?

दिनांक : बृहस्पतिवार, 28 मई, 2020 **समय : पूर्वान्ह 10.30 से 12.30 बजे तक।**

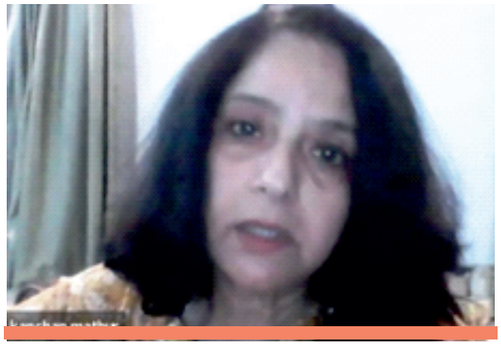

मॉडरेटर : डॉ. कंचन माथुर, मानद् प्रोफेसर, स्वतंत्र सलाहकार और जन्डेर विशेषज्ञ, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर

पैनलिस्ट

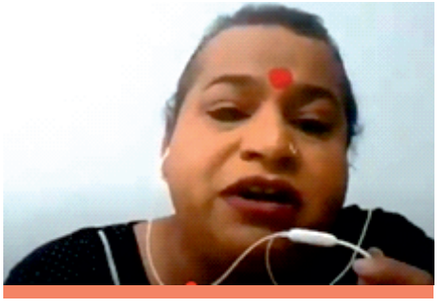

पुष्पा माई जयपुर स्थित एक समुदाय-आधारित संगठन (सी.बी.ओ.)- नई भोर की संस्थापक हैं। यह संगठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है। पुष्पा राजस्थान में एक प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर लीडर और राजस्थान सरकार के ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं। वह राज्य भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की एक प्रभावशाली पैरोकार हैं और स्थानीय सरकार के समर्थन से कमजोर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राहत और वित्तीय सहायता दिलाने में शामिल रही हैं।

बसंत नायक चार दशकों से ओडिशा में शहरी गरीब समुदायों के साथ काम कर रहे सेन्टर फोर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं। वह जेन्डर बजटिंग (लैंगिक बजट निर्माण) विषय के एक विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के बारे में अपने संगठन के कार्य का नेतत्व कर रहे हैं। वह मानते हैं कि लोगों द्वारा इसको आकार दिया जाना चाहिए।

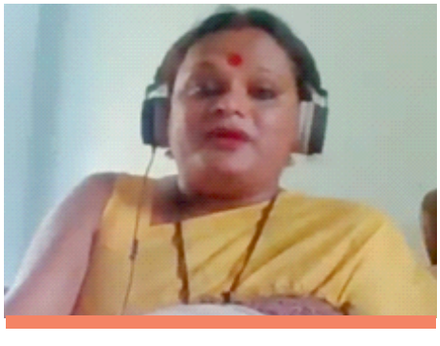

मीरा परिदा एक समुदाय-आधारित संगठन (सी.बी.ओ.)- सखा (एस.ए.के.एच.ए.) की संस्थापक हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और हकदारियों के लिए कार्य कर रहा है। ओडिशा किन्नर समाज के एक सदस्य के नाते उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सरोकारों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम भी शामिल है। मीरा एक टी.वी. कार्यक्रम- "भिन्न मानुष, भिन्न कथा" की एंकरिंग कर लोगों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के बारे में संवेदनशीलता जगाती हैं।

शोभिता राजगोपाल जयपुर स्थित विकास अध्ययन संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर और ऑफिसिएटिंग डायरेक्टर हैं। उन्हें जेन्डर और अंतर-वर्गीयता (इंटरसेक्शनेलिटी) से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में व्यापक अनुभव है, जिसमें हाशिए पर जी रही लड़कियों की शिक्षा, एम.एच.एम. और जेन्डर को मुख्यधारा में लाने के क्षेत्र भी शामिल हैं।

पैनल चर्चा के दौरान निम्नलिखित मुख्य सवालों पर विचार किया गया :

- क्या हम विश्वास से कह सकते हैं कि जेन्डर को एक प्रमुख मुद्दा माना जाता है और जेन्डर से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान देने की सामूहिक इच्छा-शक्ति है?
- हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एकल महिलाओं (सिंगल विमेन) और लड़कियों के समक्ष चुनौतियों के बारे में समाज एवं प्रशासन को कैसे साधन-सम्पन्न और संवेदनशील बना सकते हैं?
- हमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, महिलाओं, लड़कियों और अन्य कमजोर समूहों को सभी बुनियादी एवं आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी और उनकी जरूरतों के प्रति अनुकूल रुख अपनाने में व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
- नीतियां और पहलें (इंटरवेंशंस) कैसे तैयार की जाएं, जिससे "कोई भी पीछे न छूट जाए" का सिद्धांत सुनिश्चित हो।

सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सी.एफ.ए.आर.) की कार्यकारी निदेशक अखिला शिवदास ने वेबिनार का मुख्य उद्देश्य समझाते हुए कहा कि सी.एफ.ए.आर. की टीमें सामुदायिक जुड़ाव प्रक्रियाओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये टीमें समुदाय के साथ सुबह से शाम तक समय बिताती हैं, उनके विचार सुनती हैं, उनसे विचार-विमर्श करती हैं, अनेक तरीकों से उनके साथ मिल कर अभियानों की योजना बना कर उन्हें चलाती हैं, स्टेकहोल्डरों से परामर्श करती हैं और संयुक्त रूप से नीति-निर्माताओं के समक्ष पैरवी करती हैं। कोविड-१९ महामारी अब नई चुनौतियां पेश कर रही हैं क्योंकि बड़ी सभाओं के आयोजन की अनुमति नहीं है और आंदोलन प्रतिबंधित है। इस वज़ह से सामुदायिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की रणनीति बदलनी होगी।

उन्होंने कहा- "हमें प्रत्येक समुदाय के सदस्य में निवेश, प्रत्येक व्यक्ति के नेतृत्व की मजबूती, डिजिटल रूप से जुड़ने और प्रत्येक व्यक्ति को भागीदारी में सक्षम बनाने, स्थानीय कार्रवाई को आकार देने, उनके विचार सुनने और उनके प्रतिनिधित्व को मुखर बनाने की आवश्यकता है।" इसको अंजाम देने के लिए सी.एफ.ए.आर. ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वाटर फोर विमेन (डब्ल्यू.एफ.डब्ल्यू.) और डिपार्टमेंट ऑफ फोरेन अफेयर्स (डी.एफ.ए.टी.) के सहयोग से 28-29 मई, 2020 को **"कोविड-19 : महामारी के सीमांत समूह और आबादी पर प्रभाव को समझना"** विषय पर तीन-पैनल वाली एक वेबिनार सीरीज आयोजित की। इन वेबिनार ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श, विशेष रूप से कोविड-19 के संदर्भ में और प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी और सामुदायिक नेताओं को एकजुट किया। उन्होंने जेंडर संवेदनशीलता, सामाजिक समावेशन और वॉश (डब्ल्यू.ए.एस.एच.) की सुरक्षित सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच बढ़ाने के लिए अधिक दृढ़ता से जो करना आवश्यक है, उस पर नए परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श किया। अखिला शिवदास ने निष्कर्ष में कहा कि यह कदम हमें कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में गरीब-हितैषी प्रयास और बहाली के लिए बजटीय समर्थन एवं नीति को पाने में सक्षम बनाएगा।

मख्यु बिन्दु

पुष्पा माई ने कहा कि कोविड-19 के तहत आवंटित धनराशि ट्रांसजेंडर समुदाय तक नहीं पहुंच रही है। कोविड-19 की रोकथाम के प्रयास में संबंधित सरकारी आदेशों और निर्देशों में उन्हें भुला दिया गया। ट्रांसजेंडर रूढ़िगत होते हैं और शादियों में गाकर एवं नाच कर तथा शुभ अवसरों पर भिक्षा पाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। इनके प्रति प्रशासन के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए केंद्रित कार्यशालाओं के जरिए उसे संवेदनशील बनाना आवश्यक है ताकि उसे उनकी कठिनाइयों से अवगत कराया जा सके।

पुष्पा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नेताओं और प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए वाश (डब्ल्यू.ए.एस.एच.) से संबंधित मुद्दों को, खासकर कोविड-१९ के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ट्रांसजेन्डर समुदाय के लिए समावेशी शौचालय संबंधी अपने प्रयासों के बारे में भी बताया कि उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों में ट्रांसजेंडर-हितैषी पहचान संकेतक (साइनेज) को अपनाने और ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित शौचालयों के निर्माण के लिए जयपुर नगर निगम से संपर्क किया है।

बसंत नायक ने बताया कि कोविड-१९ की रोकथाम संबंधी ओडिशा सरकार के प्रयासों में जेन्डर को पयार्प्त ढंग से एकीकृत नहीं किया गया। उन्होंने शहरी गरीबों के समक्ष निम्नलिखित तीन मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला :

- प्रवासी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों सहित गरीबों के सामने आर्थिक संकट और पीड़ा।
- शहरी सरकार की समग्र प्रशासनिक रूपरेखा के भीतर जेन्डर के मुद्दों का एकीकरण न होना।
- वार्ड स्तर पर अपर्याप्त विकेंद्रीकरण।

बसंत ने जोर देकर कहा कि सभी व्यक्तियों के लिए जेंडर एक महत्वपूर्ण सरोकार है और इसे शहर के नियोजन एवं बजट आवंटन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने एक 'नोलेज नेटवर्क' (ज्ञान नेटवर्क) की स्थापना का सुझाव पेश किया, जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्रों में जेन्डर नियोजन, बजट और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सार्वजनिक वित्तीय ढांचा जेन्डर के प्रति संवेदनशील नहीं है, इस तथ्य के मद्देजर विकल्पों या मॉडल्स को तैयार किया जाना चाहिए ताकि दर्शाया जा सके कि यह संभव और आवश्यक है। उन्होंने जवाबदेही तंत्र को मजबूती की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसके बिना जेन्डर का एकीकरण एक चुनौती बना रहेगा।

ओडिशा के वर्तमान संदर्भ में उन्होंने आजीविका के प्रबंधन, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में ग्राम प्रधान या सरपंच की भूमिका पर चर्चा की, जिससे वहां विकेंद्रीकरण की दिशा में अनुकूल बदलाव का संकेत मिलता है। बसंत ने इन तौर तरीकों को आगे बढ़ाने की अपील की ताकि विकेंद्रीकरण सार्थक बने।

मीरा परिदा ने कहा कि न तो समाज और न ही सरकार ने ट्रांसजेंडरों पर ध्यान दिया तथा सोचा कि वे कैसे लॉकडाउन का सामना करेंगे एवं अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करेंगे। भारत की वित्त मंत्री ने जब कोविड-१९ की महामारी और लॉकडाउन दोनों के पंगु बनाने वाले प्रभावों से निपटने के लिए सीमांत समुदायों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की तो उनमें ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को शामिल नहीं किया।

उन्होंने यह चर्चा भी की कि ट्रांसजेंडर एक समरूप समूह नहीं है और अन्य सभी समूहों की तरह उसके भीतर बुजुर्ग, अविवाहित एवं विकलांग व्यक्ति हैं। अब तक ओडिशा या राजस्थान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई क्वारेन्टाइन सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने कहा- "ये संख्या में इतने कम नहीं हैं कि महामारी का प्रबंधन करने वाले लोग उनकी अनदेखी कर सकें।"

73वें संवैधानिक संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायतों में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं। लेकिन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया और उन्हें सामाजिक रूप से विविध तरीकों से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा- "लोग तो अब लॉकडाउन का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति जन्म के बाद से ही सामाजिक लॉकडाउन की पीड़ा झेल रहे हैं।" मीरा ने यह भी बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा या तो बेघर है या किराए के मकानों में रहता है। मकान मालिकों ने इनमें से अनेक ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों बेदखल कर दिया। इस प्रकार, वे महामारी से अरक्षित हैं क्योंकि उनके पास सुरक्षित घर नहीं हैं और न ही अक्सर हाथ धोने की सुविधाएं हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति तंग जगहों पर एक साथ रहते हैं, जिससे उनके द्वारा सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग) रखना भी कठिन बन गया।

मीरा ने कहा कि उनका संगठन सखा (एस.ए.के.एच.ए.) कोविड-१९ के दौरान सभी नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों और सेवाओं की योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की पैरवी के लिए सी.एफ.ए.आर. के साथ कार्य करना चाहेगा।

शोभिता राजगोपाल ने अपनी प्रस्तुति यह कह कर शुरू की कि कोविड-१९ ने लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित व्यक्ति समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर जी रहे तबके हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-१९ के दौरान कई सेवाएं बाधित हुईं, जिनमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन, सैनेटरी नैपकिन का वितरण एवं सीमांत परिवारों के बच्चों की शिक्षा भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में असमानताएं बढ़ीं, जबकि प्रशासनिक रवैया अब तक जेन्डर-विमुख रहा। समुदायों एवं समूहों की महिलाओं, पुरुषों, बच्चों (लड़कों और लड़कियों), और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की विशिष्ट जरूरतों के आकलन तथा उन पर ध्यान देने के लिए एक जेन्डर कार्य बल का गठन आवश्यक है। कोविड-१९ की रोकथाम और प्रबंधन के लिए नीति-निर्माण, योजना और कायार्न्वयन के उपायों में जेन्डर संबंधी नज़रिया गायब है। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जेन्डर के बारे में विभिन्न प्रकार के डेटा आवश्यक हैं ताकि संसूचित प्रयास किए जा सके।

खुली चर्चा

इसके बाद हुई चर्चा में पैनलिस्टों ने सवालों के जवाब दिए। इसके कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं:

शोभिता और बसंत ने कहा कि जैसा कि 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एम.एच.एम.) दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस पर सभी स्टेकहोल्डर द्वारा एम.एच.एम. से संबंधित मुद्दों को समन्वित तरीके से ध्यान देना अत्यावश्यक है। हालांकि मुद्दों पर प्रभावी ढंग से ध्यान देने के लिए स्थानीय समाधान आवश्यक है। एक सुझाव सैनिटरी नैपकिन के निर्माण और इनकी बिक्री में स्वयं-सहायता समूहों को सक्षम बनाने एवं मौजूदा प्रयासों के आधार पर इस पहल को आगे बढ़ाने संबंधी है। जयपुर में पुलिस विभाग ने सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए। सुरक्षित स्वच्छता के लिए मासिक धर्म के अपशिष्ट का समुचित ढंग से निपटान किया जाना चाहिए।

मीरा और पुष्पा ने कोविड-१९ की रोकथाम के नियोजन और प्रयास में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जरूरतों एवं मांगों के समावेश पर जवाब में सुझाव दिया कि उनकी पहचान से संबंधित मुद्दों एवं उनकी क्षमता तथा जरूरतों के बारे में प्रशासन को संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

सभी पैनलिस्ट सहमत थे कि कोविड-१९ के दौरान महिलाओं, विशेष रूप से ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों पर हिंसा में वृद्धि हुई। इसकी रोकथाम और हिंसा-पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए एक संस्थागत तंत्र आवश्यक है, जिसमें अधिक हेल्पलाइन की व्यवस्था और इन प्रकोष्ठों का प्रबंधन करने वाले कर्मियों की क्षमता बढ़ाई जाए। पैनल ने आर्थिक पैकेज के प्रभावों और विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों में हुए लाभों या लाभों की उम्मीदों के आकलन के लिए एक जेन्डर विश्लेषण अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सिफारिशें

- कोविड-19 की रोकथाम संबंधी प्रयास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:
- नीति निर्माण, नियोजन और कार्यान्वयन में एक जेन्डर-नज़रिया लागू करें।
- सभी स्तरों पर जेन्डर संबंधी मुद्दों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक जेंडर कार्य बल का गठन करें।
- ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएं।
- कोविड-19 की रोकथाम के प्रयास के नियोजन में केयर इकोनॉमी (संरक्षण अर्थव्यवस्था) को मजबूत करें और खासकर, देखभाल में महिलाओं की भूमिकाओं (खाना पकाने, सफाई, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की देखभाल) को मान्यता दें।
- कोविड-19 से संबंधित पहलों के नियोजन और कार्यान्वयन में वार्ड समितियों को शामिल करें।
- जेन्डर संबंधी विभिन्न प्रकार के डेटा के मिलान (समानुक्रमण) में लड़कियों और लड़कों दोनों को शामिल करें।
- जेन्डर और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और हकदारियों के बारे में पुलिस, डॉक्टरों और मीडिया को संवेदनशील बनाएं। उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ए.आ.रटी.) की दवाएं प्रदान करें, जिनका उपचार आवश्यक है या उपचाराधीन हैं।
- सी.एफ.ए.आर. समुदाय-आधारित संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से कोविड-19 की रोकथाम संबंधी प्रयास के नियोजन और कार्यान्वयन में जेन्डर संबंधी सरोकारों को मुख्य धारा में लाने की जोरदार पैरवी करे।
- विकलांग व्यक्तियों सहित ट्रांसजेंडर समुदाय की वॉश (डब्ल्यू.ए.एस.एच.) संबंधी जरूरतों का आकलन और उन पर ध्यान देना, जैसे- अलग-अलग शौचालय, साइनेज, मोबाइल टॉयलेट और वाटर ए.टी.एम.।

भुबनेश्वर और जयपुर के सामुदायिक प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों संबंधी मुद्दों पर चर्चा सुन कर कर खुशी हुई।

दिव्यांशी जेना, काबेरी नायक, जैकलीन किन्नर, ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि, भुवनेश्वर।

हम मीरा मां और पुष्पा जी को अपने मुद्दों पर बातचीत करने पर अत्यंत खुश हैं। अन्य अनेक लोगों ने हमारी समस्याओं पर चर्चा की, जबकि इनकी चर्चा कहीं भी नहीं होती। इससे हमें विश्वास है कि हमारी बातों की सुनवाई हो रही है और उन पर ध्यान दिया जाता है।

रमज़ाना, सामुदायिक प्रबंधन की सदस्य, हथ्रोई, जयपुर

भुवनेश्वर और जयपुर के ट्रांसजेंडर और महिला विशेषज्ञों को एक स्थान पर देखना और उन्हें महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए सुनना एक अद्भुत अनुभव रहा।

दीपक बेहरा, युवा क्लब के सदस्य, भुबनेश्वर

हमें चर्चा वाकई पसंद आई और हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सरोकारों को समझते भी हैं। हम महिला प्रवासियों की समस्याओं के बारे में भी अधिक जानना चाहते थे क्योंकि उनकी कठिनाइयों के बारे में समाचारों में सुनते आए हैं। हम इस बारे में अधिक सुनना और जानना पसंद करेंगे।.

संजू, सामुदायिक प्रबंधन की सदस्य, ब्रजलालपुरा, जयपुर

हम महिला-मुखिया वाले घरों, एकल महिलाओं के अनुभवों और बड़ी संख्या में परिवार के सदस्यों वाले घरों का प्रबंधन करने वाली महिलाओं के बारे में भी विशेषज्ञों से जानना चाहेंगे।

आरती जेना, महिला आरोग्य समिति, भुवनेश्वर

हम अपने समुदाय में महिलाओं के समक्ष समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं। हम देश भर में विभिन्न जगहों पर अन्य महिलाओं के समक्ष समस्याओं के बारे में भी जानना चाहते हैं। हम जेन्डर की भूमिकाओं और कोविड-१९ महामारी के दौरान अन्य समुदाय के सदस्यों की मदद के लिए एक महिला क्या कर सकती है, इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं।

मंजू, सामुदायिक प्रबंधन की सदस्य, ब्रजलालपुरा

हम जयपुर के साथ-साथ अन्य शहरों में भी महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के व्यक्तिगत अनुभवों तथा केस स्टडी के बारे में जानना चाहेंगे।

आशा सामल, सिंगल विंडो फोरम की सदस्य, दुमदुमा पाना साही, भुवनेश्वर

हम देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं की स्थिति के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या अन्य जगहों पर महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, जैसा कि हम समाचारों में ऐसे कई मामले पाते हैं। इस बारे में समाधानों की आवश्यकता है और समस्याओं को कैसे दूर किया जाए।

काबेरी भोई, किशोरी समूह, दुमदुमा भोई साही, भुबनेश्वर

पैनलिस्ट जो-कुछ कह रहे थे, मैं उनको समझ सकता था और इस चर्चा को लॉकडाउन के दौरान लड़कियों को होने वाली मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं के साथ जोड़ने को पसंद किया। मैं उन समाधानों और मदद के बारे में अधिक जानकारी चाहूंगा, जो उन्हें दूर करने के लिए हमें मिलने वाले हैं।

वीरेन्दर साहू, झुग्गी-बस्ती विकास समिति के सदस्य, ब्रजलालपुरा, जयपुर

जेन्डर, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और महिलाओं के मुद्दों के बारे में प्रतिभागियों का क्षमता-निर्माण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम आवश्यक है। डॉ. शोभिता ने जेंडर कार्य बल के बारे में उल्लेख किया। हमने आज पहली बार जेंडर बजटिंग के बारे में सुना। इससे उन शब्दों से परिचित होने में मदद मिलेगी, जो ऐसे सत्रों में उपयोग किए जाते हैं। चर्चा को और अधिक इंटर-एक्टिव तथा स्थानीय भाषा में करें।

मुमताज, सी.एम.सी. की सदस्य, हथ्रोई

सी.एफ.ए.आर. की टीम के सदस्यों ने हमें समझाया कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन अनेक बार अंग्रेजी का उपयोग किया गया। यदि चर्चा में हिंदी या हमारी स्थानीय भाषा के उपयोग को तरजीह दी जाए तो हम बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।

वीरेन्दर साहू, झुग्गी-बस्ती विकास समिति के सदस्य, ब्रजलालपुरा, रमज़ाना, सामुदायिक प्रबंधन की सदस्य, हथ्रोई, जयपुर

हम सीधे सवाल पूछने और चर्चाओं में भाग लेने का अवसर पाना चाहेंगे। पैनलिस्ट और प्रतिभागियों के बीच सवाल-जवाब का सत्र अच्छा रहेगा।

संतोषी साहू, सामुदायिक प्रबंधन की सदस्य, भुवनेश्वर

हमें चर्चा का विषय पसंद आया क्योंकि यह हमारे संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है, लेकिन हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं नहीं समझ सकते थे और पसंद करेंगे कि बातचीत ओडिया भाषा में हो।

संतोषी साहू, सामुदायिक प्रबंधन की सदस्य, भुवनेश्वर

पैनल 2 : क्या सबसे कमजोर समूहों के सामने चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया जा रहा है?

दिनांक : बृहस्पतिवार, 28 मई, 2020 **समय: अपरान्ह 3.30 बजे से सायं 17.30**

मॉडरेटर : राखी बधवार, प्रोग्राम लीड, सामाजिक समावेशन, सी.एफ.ए.आर.

पैनलिस्ट

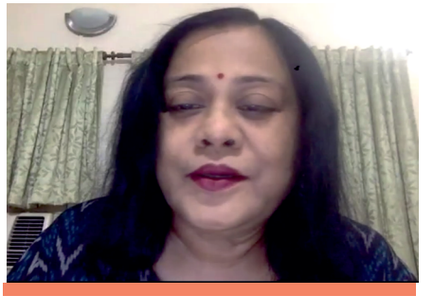

डॉ. श्रुति महापात्रा विकलांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) के सशक्तीकरण के लिए कार्यरत एक समुदाय-आधारित संगठन- स्वाभिमान की मुख्य कार्यकारी हैं। उनके प्रयासों से ओडिशा और भारत में कई सकारात्मक परिवर्तन आए, जिनमें नीतिगत बदलाव, विकलांगता के बारे में जन-जागरूकता का प्रसार और कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों सहित शहरों को विकलांग व्यक्तियों की पहुंच-योग्य बनाना शामिल है। उन्होंने विकलांग बच्चों और अन्य बच्चों के लिए एक समावेशी मंच शुरू किया। यह अंजलि नामक एक परियोजना थी, जिसमें 40,000 से अधिक विकलांग और अन्य बच्चे एक साथ एकत्रित हुए।

मैथ्यू चेरियन भारत के नई दिल्ली स्थित हेल्पएज इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और हेल्पएज इंटरनेशनल एवं गाइड स्टार इंटरनेशनल के अंतरराष्ट्रीय बोर्डों में कार्यरत हैं। वह एक संस्था-निर्माता हैं और सी.एफ.ए.आर., केयर, केयर इंडिया, रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी ऑफ़ द ब्लाइंड और नेशनल फाउंडेशन ऑफ़ कम्युनल हार्मोनी के बोर्ड के सदस्य हैं। वह भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोर कमेटी और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के सदस्य हैं। चेरियन को ग्रामीण विकास, बुजुर्गों की देखभाल एवं सहायता, वित्तीय गठबंधन, समुदाय-आधारित संगठनों और विकास संगठनों के लिए धन जुटाने से संबंधित रणनीतिक मुद्दों के बारे में अनेक वर्षों का अनुभव है।

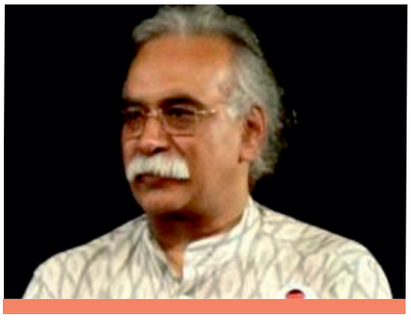

डॉ. इंदु प्रकाश सिंह एक ओजस्वी लेखक, कवि और नारीवादी हैं। उन्हें बेघर, बेसहारा एवं शहरी गरीबों, एच.आई.वी. के साथ जी रहे व्यक्तियों (पी.एल.एच.आई.वी.), सड़क पर रहने वाले बच्चों के अधिकारों, खाद्य सुरक्षा, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानव वंचना, महिला सशक्तीकरण, जेन्डर और अनेक इंटरसेक्शनेलिटीज (अंतर-वर्गीयता) के मुद्दों पर कार्य का चार दशकों का अनुभव है। वह परामर्शदाता, नेटवर्किंग में माहिर और अनेक लोगों के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। वह बेघरों के अधिकारों की पैरवी के अग्रदूतों में से एक हैं।

भाषा सिंह एक पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं। उन्होंने उत्तर भारत में मैला ढोने और किसानों की आत्महत्या के मुद्दों पर विस्तार से लिखा है। उन्हें मैला ढोने के मुद्दे पर कार्य के लिए 2005 में प्रभा दत्त फैलोशिप प्राप्त हुई और 2007 में मैला ढोने वाली महिलाओं पर उनकी कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रकार के रूप में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह वर्तमान में न्यूज़ क्लिक से जुड़ी हुई हैं।

संन्यासी बेहरा ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओ.ए.एस.) के प्रथम दृष्टि-बाधित सिविल सर्वेंट हैं। वह वर्तमान में भुबनेश्वर स्थित सामाजिक सुरक्षा एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण से संबंधित विभाग (एस.एस.ई.पी.डी.) के मुख्यालय में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हैं। वह सर्वाधिक सीमांत गरीब, दृष्टि-बाधित, कुष्ठ-प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में एक मुखर योद्धा हैं। उन्होंने नीतिगत सारपलों, योजनाओं और विकलांग व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने में सार्थक योगदान दिया है।

पैनल ने चर्चा की और सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेलने, कोविड-19 की महामारी के विकलांगों, बुजुर्गों, स्वच्छता कर्मचारियों, एवं बेघर के अलावा अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव का परिप्रेक्ष्य रखा और समझ मजबूत की। पैनल चर्चा के दौरान निम्नलिखित प्रमुख सवालों पर विचार किया गया :

- क्या सामाजिक अपवर्जन (एक्सक्लुजन) और सभी बुनियादी अधिकारों एवं सेवाओं को न देना एक महत्वपूर्ण चुनौती है?
- क्या सामाजिक समावेशन लाने की नीतियों और कार्यक्रमों से सीमांत समूहों के सशक्तीकरण में मदद मिली है?
- कोविड-19 के संदर्भ में हमारे द्वारा किन अत्यावश्यक सरोकारों पर ध्यान देना जरूरी है?
- कोविड-19 के बाद सभी सीमांत समूहों के सशक्तीकरण और सेवाओं तक पहुंच के अधिकार और आवश्यक देखभाल एवं सहायता पाने के बारे में सरकार द्वारा कौन-से उपाय करने आवश्यक है?

संदर्भ की प्रस्तुति

सी.एफ.ए.आर. की कार्यकारी निदेशक अखिला शिवदास ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा- "मैं सभी का स्वागत करती हूं और इस वेबिनार के विशेष उद्देश्य को स्पष्ट करूंगी। सी.एफ.ए.आर. के कार्य का मुख्य ध्यान समुदाय पर है और उन्हें अपने मुद्दे उठाने एवं आकार देने में सक्षम बनाना है। चूंकि समुदाय के मुद्दे जटिल हैं, इसलिए हम इस कार्य में विशेषज्ञता रखने वाले साझेदारों के साथ काम करते हैं। लेकिन, कोविड-19 के संदर्भ में समुदायों के साथ पहले की तरह से कार्य करना अब संभव नहीं है। हमें अपने कार्य के तौर तरीके बदलने होंगे। हम जिन मुद्दों पर कार्य करते हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं और हमें इन मुद्दों के इर्द-गिर्द कार्य की गति वाकई में बढ़ानी होगी। लेकिन, हम अब बड़ी सामुदायिक बैठकें और सभाएं नहीं कर सकते। अब हम में से प्रत्येक को उन मुद्दों और प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और परिवर्तन लाते हैं। इसके लिए साझा परिप्रेक्ष्य और समझ आवश्यक है। यह वेबिनार इसी दिशा में पहला कदम है।"

मुख्य बिन्दु

डॉ. श्रुति महापात्रा ने महामारी के दौरान विकलांगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सरोकारों को साझा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकलांगों को न तो इस महामारी आगमन के बारे में पर्याप्त जानकारी थी और न ही उनके पास इस वायरस से खुद के बचाव की प्रतिरोधक क्षमता थी, जिसने उन्हें कमजोर बनाया और जोखिम में डाला। कोविड-19 की रोकथाम के प्रयास में विकलांग व्यक्तियों को अभिवृत्तीय, पर्यावरणीय और संस्थागत बाधाओं के कारण पीछे छोड़ दिया जाता है। महामारी की रोकथाम के प्रयास की योजना बनाते समय उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह 'एक्सेसिबल इंडिया' जैसी पहलों में स्पष्ट है। सरकार ने व्यवहारगत परिवर्तन की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया। चार घंटे के नोटिस पर तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं, जिन्हें कपड़े धोने, स्नान करने, कपड़े बदलने आदि के लिए सहायताकर्मी की आवश्यकता होती है। ऐसे कई विकलांग व्यक्ति बिना सहायताकर्मी के थे और 24 घंटे से अधिक समय तक गंदे कपड़ों में रहने को मजबूर हुए। किसी भी प्रयास की योजना बनाने से पहले विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों को समझना होगा और इसके बाद योजना बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने विकलांगों के सरोकारों के बारे में बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 21 मिलियन विकलांग व्यक्ति थे। अब विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अधिनियम के तहत विकलांगों के 21 से अधिक समूहों की पहचान की गई है, जिससे इनकी अब संख्या तिगुनी हो गई है। इनमें से छह से सात मिलियन विकलांग ओडिशा में हैं। लोगों के इतने बड़े समूहों को, विशेषकर कोविड-19 के संदर्भ में, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विकलांगों के लिए अलग-अलग प्रकार की सहायता और समर्थन आवश्यक है क्योंकि इनकी विविध प्रकार की आबादी है।

गरीबी, विकलांगता और अरक्षितता (वलनरेबिलिटी) के बीच की कड़ी पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में सर्वाधिक गरीब 20 प्रतिशत लोग विकलांग हैं। विकलांगता गरीबी लाती है और गरीबी अरक्षितता उत्पन्न करती है।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि विकलांग व्यक्ति तीन प्रमुख कारणों से एक उच्च-जोखिम समूह में हैं : सबसे पहले विकलांग संक्रमणों की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं और यदि उन्हें कोई संक्रमण है तो यह उनके मौजूदा सह-रुग्णताओं के कारण सबसे अधिक बार गंभीर होता है। इसलिए, संक्रमण के घातक होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। दूसरे, विकलांग अधिक अतिसंवेदनशील हैं क्योंकि उन्हें चीजों को छूने की जरूरत पड़ती है और वे सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन नहीं कर पाते। अनेक विकलांग व्यक्ति अपनी दिनचर्या में देखभालकर्ता पर आश्रित हैं। तीसरे, विकलांगों को व्यवहारगत नए मानदंडों को समझाना बहुत कठिन है क्योंकि इसके प्रशिक्षण में अनेक वर्ष लगते हैं और यह अल्पकाल में नहीं हो सकता।

मैथ्यू चेरियन ने बुजुर्गों की दुर्दशा पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की, जो धनराशि, भोजन और देखभाल की कमी के कारण महामारी से प्रभावित हुए हैं। अनेक बुजुर्ग अपने बच्चों द्वारा भेजी गई धनराशि पाने में सक्षम नहीं हैं। बुजुर्गों के लिए कोविड-19 के परीक्षण की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें से कई बुजुर्ग अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनका समय पर इलाज और देखभाल आवश्यक है। हमारे देश में लगभग 53 मिलियन गरीब बुजुर्ग हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डी.बी..डी.) के जरिए पेंशन दी जानी चाहिए। लेकिन, केवल 15 मिलियन बुजुर्गों को प्रतिमाह 200 रु. की पेंशन दी जाती है, जबकि अन्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष करने को छोड़ दिया गया है।

यह महसूस किया गया है कि इस वायरस को लंबे समय तक नहीं मिटाया जा सकता। कोविड-19 के कारण 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध से सभी को सोचना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन निर्वाह की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए सहायता कैसे दी जा सकती है।

उन्होंने समाधान खोजने की दिशा में एक कदम के रूप में गांवों और छोटे जिलों में अनाज बैंकों, जन औषधि केंद्रों (जेनेरिक दवा-वितरण भंडार) और आयुष (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के क्लीनिकों की स्थापना, समय पर देखभाल के लिए सरकारी एवं सावर्जनकि अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और सेवा मानकों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

चेरियन ने रोकथाम के उपायों की मजबूती के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरित कर बुजुर्गों की सहायता संबंधी हेल्पएज इंडिया के कार्य भी साझा किया। उन्होंने बताया कि ऐसे उदाहरण सामने आए, जब कथित निम्न जातियों के बुजुर्गों के साथ भेदभाव के लिए सामाजिक दूरी का इस्तेमाल किया गया- यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसका हम सभी को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए।

गांवों में कमजोर स्वच्छता सुविधाओं और बुजुर्गों के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के साथ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत काम के अवसरों की कमी से समस्याएं गंभीर हो गई हैं। भोजन के अधिकार से अपवर्जन (एक्सक्लुजन) के कारण बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष अनेक विकल्प नहीं बचे हैं। नतीजतन, भुखमरी और बीमारी से वे जान गवां रहे हैं। इसलिए, एक एकीकृत दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है ताकि बुजुर्ग लोग गरिमा और देखभालपूर्ण जीवन जी सकें।

भाषा सिंह ने अपना विमर्श यह कह कर शुरू किया कि "भारत के अदृश्य लोग वर्तमान परिस्थिति में दृश्यमान हुए हैं।" 40 से 50 दिनों के इंतजार के बाद मजदूरों और कर्मचारियों ने पाया कि जीवन के बचाव के भारत सरकार के वायदों को नहीं निभाया गया। उन्होंने बड़ी संख्या में अपने घरों को छोड़ने का फैसला किया। एक बार ऐसा होने पर उनके बारे में नकारात्मक रिपोर्टें आईं और उन्हें 'कोरोना वायरस का वाहक' बतलाया गया। इसने सामाजिक-राजनीतिक संवाद को अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने कहा- स्वैच्छिक क्षेत्र ने प्रभावित लोगों की सहायता की, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक नेता अपने घरों में बैठे रहे और श्रमिकों के इस समूह की सहायता का कोई उपाय नहीं किया। उन्होंने आगे कहा- " अगर हम राज्य (सरकार) के प्रतिनिधियों के भाषण सुनें तो उनकी घोषणाओं में प्रवासी लोगों का कोई जिक्र नहीं मिलता। विपक्षी दलों को भी उनके समर्थन में आने में लंबा समय लगा। कोरोना वायरस ने उजागर किया कि हमारी एक कुरूप, गरीब-विरोधी, महिला-विरोधी और श्रमिक-विरोधी व्यवस्था है।

उन्होंने स्वच्छता कर्मचारियों और श्रमिकों के अन्य समूहों की दुर्दशा साझा की, जो कचरे के संग्रह, कूड़ा बीनने, नालियों की सफाई और मल-जल हटाने के उच्च अधिक जोखिमी कार्य में जुटे रहते हैं। कोविड-१९ की महामारी में इन्हें नजरअंदाज कर असुरक्षित छोड़ दिया गया। कोविड-१९ के अस्पतालों में स्वच्छताकर्मियों ने, जैसे- लोक नायक जय प्रकाश (एल.एन.जे.पी.) अस्पताल, ने बिना किसी सुरक्षा उपायों के काम किया। उन्होंने मौत के डर से सुरक्षा किट की मांग की और अपने इस्तीफे की भी पेशकश की, फिर भी उनकी जरूरत के मुताबिक सहायता नहीं की गई। इस दौरान स्वच्छताकर्मियों को अग्रिम वेतन या कोई अन्य स्वास्थ्य देखभाल लाभ नहीं दिया गया।

व्यवस्थागत खामियों पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने सिविल सोसायटी से इन श्रमिकों की सहायता के तौर तरीके खोजने की अपील की। उन्होंने कुछ कदमों का सुझाव दिया : मनरेगा के तहत कार्य का आवंटन, अनुबंध और स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन तक पहुंच, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के जरिए सब्सिडी-प्राप्त खाद्य पदार्थ और भोजन का अधिकार देना। इन समूहों को यथाशीघ्र 10,000 रु. की नकद सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे व्यवस्था से निराश न हों और सरकार एवं सिविल सोसायटी को विभिन्न तरीकों से अपना समर्थन दे सकें।

डॉ. इंदु प्रकाश सिंह ने कोविड-१९ की रोकथाम के प्रयास के तहत शहरी गरीबों, हाशिए पर जी रही आबादी और समूहों की सहायता की दिशा में दिल्ली सरकार के कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने आश्रयों (शेल्टर) में सामुदायिक रसोई स्थापित की, प्रथम सहायता-स्तर पर पी.डी.एस. राशन, गैर-राशन कार्ड धारकों के लिए ई-कूपन और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाया। अनेक समुदाय-आधारित संगठनों ने सरकारी राहत कार्य में सहयोग दिया। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि समस्या मानवीय है और अन्य आवश्यकताएं भी हैं, जो केवल नकद हस्तांतरण से मिल सकती हैं।

उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार के समक्ष कुछ चुनौतियों को साझा किया क्योंकि अधिकारी सरकार द्वारा जारी घोषणाओं के बाद प्रयास में संकोच कर रहे थे। जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कमजोर था। प्रवासियों की कठिनाइयों के प्रति जो उदासीन रवैया अपनाया गया, उससे अनेक लोगों ने दुश्कर यात्राओं की वेदना झेली और अपने घर लोट पाए, जबकि कुछ लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यदि इनकी यात्रा को समुचित ढंग से नियोजित किया जाता तो इस प्रकार की त्रासदी टाली जा सकती थी।

लॉकडाउन के दुःख-दर्द को साझा करते हुए उन्होंने कहा- "मुझे आशा है कि ऐसा कुछ फिर नहीं होगा- चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन घोषित नहीं किया जाएगा और लोग घर लौटने में असमर्थ नहीं होंगे। सरकार यह एहसास नहीं करती कि बिना कार्य के लोग कमा नहीं सकते और किराया अदा नहीं कर सकते। यह खामी दूर करना जरूरी है।"

संन्यासी बेहरा ने कोविड-19 की रोकथाम के प्रयास में विकलांगों के लिए योजनाबद्ध प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने कहा- "मैं चरक संहिता का एक उद्धरण प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कहा गया है कि हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने भले के लिए नहीं।" हम अपने इस पेशे के कारण नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के चलते कार्य करते हैं।"

उन्होंने विकलांगों की दुर्दशा के बारे में यह भी कहा कि विकलांगों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी समान लाभ के हकदार हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार किए और उनके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया। लेकिन, अब तक यह नहीं किया गया।

उन्होंने सुझाव दिया कि विकलांगों के अधिकारों संबंधी केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड अपनी बैठक में इन दिशा-निर्देशों पर आगे कार्यान्वयन के लिए उन्हें विकसित करें। उन्होंने ओडिशा में सीमांत समूहों के लाभ के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की और बताया कि विधवाओं, विकलांगों, निर्माण श्रमिकों एवं निराश्रित महिलाओं को चार महीने की अग्रिम पेंशन दी गई और राशन कार्ड नहीं रखने वालों को राशन दिया गया।

बेहरा ने कहा कि कोविड-१९ की रोकथाम संबंधी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों को ऑडियो और ब्रेल प्रारूप में परिवर्तित किया जाए ताकि विकलांग व्यक्ति उनका लाभ उठा सकें। सभी संप्रेषण सामग्री को विकलांगों के समझने-योग्य बनाया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रावधान है कि विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे जो लोग जोखिम में हैं, उन्हें राहत योजना कार्ड जारी किया जाए। इसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी तत्काल सहायता के लिए कार्यात्मक 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना की जाए।

उन्होंने कहा कि विकलांगों को स्थानीय स्तर पर सहायक उपकरणों और विनिर्माण, मरम्मत और रखरखाव संबंधी सहायता की भी आवश्यकता है ताकि वे कुशलतापूर्वक काम कर सकें। ये व्हील चेयर के उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक है क्योंकि वे शौचालय जाने के लिए भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। विकलांगों द्वारा नए क्षेत्रों में काम करने की भी आवश्यकता है, जिनमें मुर्गीपालन, मत्स्य और डेयरी से संबंधित उत्पाद शामिल हैं। चिकित्सा केंद्रों को पी.पी.ई. किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश भी जरूरी है। उन्होंने कहा- "डिस्पेंसरियों में न सिर्फ डॉक्टर, बल्कि एक समुचित प्रदायगी तंत्र और प्रणालियां आवश्यक हैं, जिन्हें पर्याप्त धनराशि के निवेश के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके बिना जीवन का अधिकार पाना संभव नहीं होगा।"

खुली चर्चा

इसके बाद चर्चा में पैनलिस्ट ने प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए। इनमें कुछ विशिष्ट सरोकार विकलांगों के अधिकारों को मुख्यधारा में लाने, सेवाओं की घर पर प्रदायगी, आजीविका और आय के अवसरों के सृजन और संस्थागत देखभाल एवं सहायता से संबंधित थे।

पैनलिस्ट ने निम्नलिखित सुझाव दिए :

डॉ. श्रुति महापात्रा ने कहा कि घर पर सेवाओं की प्रदायगी का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिससे विकलांगों को सेवाएं या उनकी हकदारियां नहीं मिलीं। कोविड-19 की रोकथाम के प्रयास के नियोजन में विकलांगों और विशेषज्ञों को शामिल करना आवश्यक है ताकि उसे विकलांगों की आवश्यकताओं के मुताबिक बनाया जा सके। उन्होंने थेरेपी सेंटर खोलने की भी सिफारिश की

संन्यासी बेहरा ने भुबनेश्वर के सबक साझा किए और कहा कि वहां सेवाओं की घर पर प्रदायगी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस कैंप की योजना बनाई गई। यूनिक डिसेबिलिटी आई.डी. (यू.डी.आई.डी.) कार्ड घर पर पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन पंजीकरण के बाद कार्ड को लाभार्थी तक पहुंचने में लगभग 8-12 महीने लगते हैं यानी सेवा की प्रदायगी ठप्प हो जाती है। उन्होंने विकलांगों को घर पर थैरेपी-सेवा प्रदान करने वाली शमाता एक्सप्रेस के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भुबनेश्वर में निराश्रित और बेघर लोगों के लिए विशेष गृह बनाए गए, जहां उन्हें परामर्श और नैदानिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था।

उन्होंने कुष्ठ-प्रभावित व्यक्तियों की दुर्दशा के बारे में कहा कि उनके लिए बने कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। भले ही वे अंत्योदय (गरीबों में अति-गरीब) के राशन लाभ के हकदार हैं, लेकिन राशन एकत्र करने में सक्षम नहीं हैं। ओडिशा को कुष्ठ-मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद 70 प्रतिशत कुष्ठ-प्रभावित व्यक्ति हैं, जिनकी देखभाल आवश्यक हैं। उन्होंने ओडिशा की तरह अन्य राज्यों में तकनीकी समितियों की स्थापना सिफारिश की ताकि ऐसे व्यक्तियों के जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो और उन्हें सम्मान मिले।

डॉ. इंदु प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार सभी सीमांत समूहों के लिए समावेशी तरीके से काम करे, इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों, सी.एस.ओ. और सी.बी.ओ. को सरकार के समक्ष समुदायों के मुद्दे रखने चाहिए और उनकी पैरवी करनी चाहिए। विकेंद्रीकरण अति-महत्वपूर्ण है ताकि बेघर लोगों के अधिकारों और हकदारियों पर ध्यान दिया जा सके। इस बारे में आजीविका केंद्र और कुष्ठ समुदाय पुनर्वास मॉडल की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ हाल ही में एक बैठक में कि उन्होंने (और अन्य प्रतिभागियों ने) भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में न रखने और भिखारी गृहों को आजीविका केंद्र में तब्दील करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा- "यह कुष्ठ-प्रभावित व्यक्तियों को दूसरों से अलग रखने के बजाए उन्हें समुदाय के साथ फिर से जोड़ने का समय है।"

सिफारिशें

विकलांग व्यक्ति
पैरवी और नीति
विकलांगों के लिए नीति स्तर की खामियों पर विचार के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए।\
आजीविका और वित्तीय सहायता
1. अपनी आजीविका गंवा चुके पात्र विकलांगों की वितीय सहायता के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।
2. आपातकालीन प्रयास के अंग के रूप में घोषित योजनाओं और सेवाओं के लाभ पाने के लिए श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए।
3. 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विकलांगों को 5,000 रु. का अनुग्रही नकद अंतरण प्रदान किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
1. सुलभ कोविड-१९ केंद्रों के जरिए स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सहायता दी जाए।
2. विकलांगों के लिए घर पर परामर्श और चिकित्सा आवश्यकता की प्रदायगी की व्यवस्था की जाए।
3. प्रत्येक जिले में विकलांगों के लिए एक देखभालकर्मी के साथ विशिष्ट अलगाव वार्ड की स्थापना की जाए।
4. उन विकलांगों की संस्थागत देखभाल की जाए, जो एकल माता-पिता हैं या जिन्हें अपने छोटे बच्चों के लिए सहायता आवश्यक है।
5. आपातकालीन प्रयास सेवाओं के लिए सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को विकलांगों संबंधी विशेष आवश्यकताओं के साथ विशेषीकृत स्थानीय संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए

सूचना और हेल्पलाइन
1. कोविड-19 की रोकथाम संबंधी सेवाओं एवं सावधानियों के बारे में सभी जानकारियां स्थानीय भाषा और सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
2. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रमाणित सांकेतिक-भाषा के दुभाषियों को विकलांगों के समक्ष व्याख्या की अनुमति दी जानी चाहिए।
3. इसके बाद, विशेष हेल्पलाइन (वीडियो कॉल सुविधा और भारतीय सांकेतिक भाषा की व्याख्या के साथ) को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
4. समर्पित सरकारी कोष के साथ सामुदायिक रेडियो, दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्लॉट्स पर विशेष सत्र और फोन-इन-कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक

खाद्य सुरक्षा
1. खाद्य सुरक्षा के तहत सभी को राशन देने और अनाज बैंक एवं आपातकालीन राशन कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) को सार्वभौमिक बनाया जाए।
2. वित्तीय सुरक्षा के लिए नकद अनुदान योजना की व्यवस्था की जाए।

स्वास्थ्य देखभाल
1. कोविड-19 के परीक्षण के लिए जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए।
2. जन-औषधि केंद्रों की स्थापना (जेनेरिक दवा-वितरण भंडार) की जाए।

आजीविका और वित्तीय सहायता

1. मनरेगा के तहत समर्पित कार्य और अल्पकालिक ऋण एवं ऋण सुविधा तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
2. सभी राज्यों में सभी गांवों के बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन-1800 और 1801253 को सुलभ-योग्य बनाया जाना चाहिए (वर्तमान में यह भारत के 23 राज्यों में चालू है)।
3. बुजुर्गों के लिए दिन में देखभाल केंद्र, सामुदायिक रेडियो, डिजिटल संसाधन केंद्र, कृषि विस्तार केंद्र और टेली-मेडिसिन केंद्रों सहित बहुउद्देश्यीय केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

भुवनेश्वर और जयपुर से सामुदायिक प्रतिक्रियाएं

हाशिये पर जी रहे लोगों के विचार जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

विजय कंवर और गोरा देवी, सामुदायिक प्रबंधन समिति (सी.एम.सी.) की सदस्य, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर,
सुनीता, सी.एम.सी. की सदस्य, रीको बस्ती, जयपुर,
अनम, किशोरी समूह, शक्ति कॉलोनी, जयपुर,
संजू, सी.एम.सी. की सदस्य, ब्रजलालपुरा, जयपुर

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे मंचों पर कमजोर और सबसे अपवर्जित (एक्सक्लुडेड) वर्गों के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस चर्चा में लोहार (लुहार और धातु संबंधी काम करने वाले), दलित (अनुसूचित जाति), कूड़ा बीनने वालों और एकल महिलाओं को शामिल करना उपयोगी होगा।

विकलांग व्यक्तियों पर सत्र आंख खोलने वाला था।

हम विकलांगों के बारे में कभी नहीं सोचते। अब हम समझते हैं कि महामारी उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। यह बहुत ही जुड़ावपूर्ण और दिलचस्प सत्र था। हम इन लोगों के सरोकारों को समझने के लिए सीधा संवाद करना चाहेंगे।

सुनीता, सी.एम.सी. सदस्य, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर

बहुत सारे लोग "वंचित वर्ग" का हिस्सा हैं। हम उनकी प्राथमिकताओं को समझने के लिए उनसे सीधा संवाद करना चाहेंगे और योजना बनाएंगे कि हम उनकी कैसे सहायता करें। सर्वाधिक प्रभावित लोगों के साथ योजना बनाना समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।

हमें झुग्गी-बस्ती के लोगों से अधिक विचार, मत, मुद्दों, चुनौतियों और समाधानों पर बातचीत करने की आवश्यकता है। उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं और इन समुदायों के साथ कार्य कर सकते हैं। विकलांगों के देखभालकर्ताओं की देखभाल और सहायता पर चर्चा आवश्यक है।

गोरा देवी, सीएमसी सदस्य, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर

लॉकडाउन के दौरान मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की भिन्न-भिन्न समस्याएं होती हैं क्योंकि वे अपने शिक्षा-केंद्रों में जाने में सक्षम नहीं होते और एक मां के रूप में मुझे इसके प्रबंधन में बहुत मुश्किल हो रही है। वे केवल अपने शिक्षक के निर्देश समझते हैं। बेहतर होगा, यदि पैनलिस्ट इन समस्याओं के हल में हमारी मदद कर सकें। राज्यों में विकलांगों की सरकारी सहायता देने के बारे में जानना आवश्यक है।

पूर्णबासी साहू, मानसिक रूप से विकलांग किशोरियों की देखभालकर्ता, बस्ती बिकास-2, भुवनेश्वर

हम अन्य राज्यों में विकलांगों की स्थिति के बारे में अधिक जानना चाहेंगे। कोविड-१९ के लॉकडाउन के समय जब लोगों की आजीविका से जुड़ी इतनी गंभीर समस्या है तो हमें विकलांगों के माता-पिता के अतिरिक्त खर्चों के बारे में सोच कर चिंता होती हैं। यदि अन्य राज्यों में विकलांगों के लिए कोई अतिरिक्त योजनाएं हैं तो हम पैनलिस्ट से जानना चाहेंगे।

लक्ष्मीप्रिया लेंका, सिंगल विंडो फोरम और एम.ए.एस. की सदस्य, निरंकारी नगर, भुवनेश्वर

इतने सारे लोगों को एक साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए देख कर अच्छा लगा। हम यह भी जानना चाहते थे कि अन्य राज्य सरकारें विकलांगों को किस तरह की सहायता दे रही हैं। सत्र स्थानीय भाषा में और समावेशी तरीकों से आयोजित किए जाने चाहिए।

सुशांति बेहरा, स्वयं सहायता समूह की सदस्य, बस्ती बिकास-2, भुवनेश्वर

मैं पहली बार वेबिनार में भाग ले रही हूं और वाकई अच्छा लगा कि इस विषय पर इतनी गंभीरता से चर्चा हो रही है और इतने सारे लोग विकलांगों के सरोकारों के बारे में सोच रहे हैं। यदि यह ओडिया भाषा में किया जाए तो हमें अधिक सुविधा होगी।

जया पात्रा, सी.एम.सी. सदस्य, बस्ती बिकास, भुवनेश्वर

ऑडियो और वीडियो स्पष्ट नहीं थे, इसलिए हम कुछ बातचीत जानने से चूक गए। प्रत्येक समूह को कम समय आवंटित किया गया। एक समय में एक समूह पर फोकस करना बेहतर होगा।

अनम, किशोरी समूह, शक्ति कॉलोनी, जयपुर

बिभुस्मिता श्रवण-बाधित है, लेकिन वह अपनी मां के साथ आईं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें पैनल चर्चा कैसी लगी तो उन्होंने अपनी मां को बताया कि इतने सारे लोगों को एक साथ चर्चा करते हुए देखना अच्छा लगा, लेकिन बेहतर होता, यदि उसकी कोई व्याख्या करता।

बिभुस्मिता बेहरा, विकलांग, किशोरी समूह, भुवनेश्वर

पैनल 3 : क्या हम सुरक्षित और समावेशी वॉश (डब्ल्यू.ए.एस.एच.) सेवाओं के बिना महामारी रोक सकते हैं?

दिनांक : शुक्रवार, 29 मई, 2020 **समय: पूर्वान्ह 10.30 बजे से 12.30 बजे**

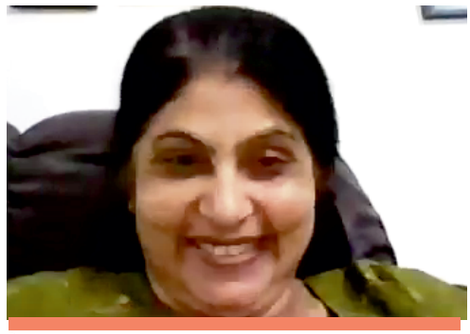

मॉडरेटर : जूही जैन, प्रोग्राम लीड, वॉश (डब्ल्यू.ए.एस.एच.), सी.एफ.ए.आर.

पैनलिस्ट

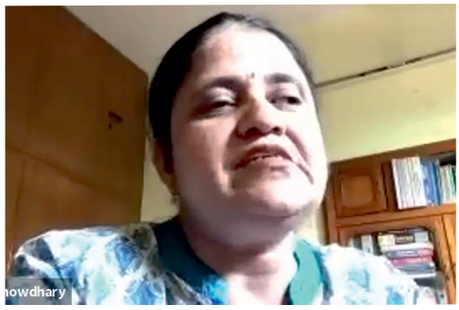

डॉ. मोनिका चौधरी जयपुर के एक प्रमुख विश्वविद्यालय- भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन शोध संस्थान (आई.आई.एच.एम.आर.) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र, वित्त, व्यवसाय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिग्री प्राप्त कर वह स्वास्थ्य अर्थशास्त्र में शोध में करती रही हैं, जिसमें जल अर्थशास्त्र, जल-वित्तपोषण, अस्पताल वित्त, समेकित जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी एवं आकलन, स्वास्थ्य वित्तपोषण और स्वास्थ्य अर्थशास्त्र शामिल हैं। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में सतत मॉडल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सरकार, फंडिंग एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों एवं समुदायों के साथ निकटता से जुड़ कर काम किया है, जिससे अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और विकास में योगदान मिल सकता है। उनकी खूबी सरकार, समुदाय और सिविल सोसायटी की साझेदारी में समुदाय के नेतृत्व में कम लागत की जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्रणालियों के मॉडल्स विकसित करना है।

ए. के. गुप्ता एक सेवानिवृत्त केमिकल इंजीनियर हैं और वर्तमान में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में सदस्य विशेषज्ञ हैं। यह बोर्ड दिल्ली में झुग्गी-बस्ती के पुनर्विकास की नोडल एजेंसी है। वह आश्रयों और शहरी झुग्गियों के सभी निवासियों के सुरक्षित और समावेशी वॉश सेवाओं के लिए जिम्मेदार हैं। वह जेन्डर-समावेशी आधारभूत ढांचे पर फोकस के साथ सामुदायिक नेतृत्व वाले मॉडल्स के विकास, उसमें सहायता और उसके कार्यान्वयन के लिए सरकारी-स्टेकहोल्डर, समुदाय और सिविल सोसायटी को एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह वर्तमान में डी.यू.एस.आई.बी. के लिए सामुदायिक शौचालयों, रैन-बसेरों, सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन, स्थापना और सीवर लाइनों के प्रबंधन की निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शहर में कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट शौचालयों की स्थापना का समर्थन किया है।

डॉ. कजरी मिश्रा कॉर्नेल विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं और वर्तमान में भुबनेश्वर स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स की प्रमुख हैं। डॉ. मिश्रा वॉटको (ओडिशा के जल निगम) की एक स्वतंत्र निदेशक भी हैं। वॉटको ओडिशा सरकार की एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी है और जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। डॉ. मिश्रा जेन्डर और समावेशन के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन प्रबंधन, सीवेज और सेप्टेज शोधन के क्षेत्रों में भागीदारी-आधारित नियोजन और नीति-निर्माण में एक सलाहकार की भूमिका निभाती हैं। उन्होंने परिवर्तन-प्रक्रिया की अगुआई करने वाले समुदायों के साथ वॉश से संबंधित नीतिगत ढांचे की पैरवी के लिए गवर्नेंस, जेन्डर और हाशिए पर डालने, जेन्डर इक्विटी जैसे विषयों पर अनेक शोध अध्ययनों का नेतृत्व किया है।

एलिसा पटनायक अर्नस्ट एंड यंग में कम्युनिकेशन लीड हैं, जिन्होंने मल-जल के गाद और सेप्टेज प्रबंधन पर सामुदायिक प्रतिनिधियों की तकनीकी क्षमता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुरक्षित संरोधनों के निर्माण और नियमित रूप से उनका मल-जल गाद खाली करने में समुदाय की जानकारी एवं भागीदारी को मजबूत बनाने में उनकी सहायता परिवर्तनकारी साबित हुई। एलिसा ने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साक्ष्य की मजबूती, वित्तीय सहायता प्राप्त दरों पर मल-जल की गाद हटाने की नियत योजना, सामान्य उपकरणों और आई.ई.सी. सामग्री को तैयार करने में सिंगल विन्डो फोरम के सदस्यों की भागीदारी के लिए भुवनेश्वर नगर निगम एवं ओ.डब्ल्यू.एस.एस.बी. के समक्ष पैरोकारी में समुदाय की सहायता की है।

पैनल चर्चा के दौरान निम्नलिखित प्रमुख सवालों पर विचार किया गया :

- क्या हम सुरक्षित और समावेशी वॉश की सेवाओं को सुनिश्चित किए बिना कोविड-19 महामारी रोक सकते हैं?
- क्या कोविड-19 महामारी का खतरा केवल स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में माना जा रहा है?
- हम शहरी गरीबों के लिए वॉश की सेवाओं में महत्वपूर्ण खामियों को कैसे दूर करें?
- कोविड-19 महामारी सरकार और समाज की सामाजिक विकास प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित करेगी?
- क्या सरकार की निर्धारित प्राथमिकताओं में वॉश की सेवाओं को महत्व मिलेगा? यदि हां तो कैसे और यदि नहीं, तो क्या-क्या चुनौतियां हैं?
- क्या समतापूर्ण और सुरक्षित वॉश सेवाओं तक पहुंच के लिए विशिष्ट रणनीतियां आवश्यक हैं?
- यदि सुरक्षित स्वच्छता के तौर तरीकों को सतत रखना है तो इन्हें कैसे आकार और निरंतरता दी जा सकती है और महत्वपूर्ण परिवर्तनकर्ता कौन होंगे?

संदर्भ की प्रस्तुति

सी.एफ.ए.आर. की कार्यकारी निदेशक अखिला शिवदास ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा- "मैं पैनल के सामने कुछ उन महत्वपूर्ण सवालों की भूमिका प्रस्तुत करूंगी, जिन पर हम आज विचार-विमर्श कर रहे हैं। साथ ही, इस वेबिनार के उद्देश्यों को साझा करूंगी। सी.एफ.ए.आर. आवश्यक रूप से शहरी गरीब समुदाय के साथ मिल कर कार्य करता है, जिसमें दिन-प्रतिदिन नियोजन से लेकर समुदाय के विचारों पर ध्यान देना, कार्यविधि में सुधार एवं कार्यान्वयन तक के सभी मामले शामिल हैं। यह सब समुदाय के परामर्श से किया जाता है। कोविड-19 के कारण यह प्रक्रिया धीमी हो गई, लेकिन हम दैनिक आधार पर राहत वितरण, महिलाओं एवं पुरुषों के समक्ष चुनौतियों को समझने, जरूरतमंद समूहों की देखभाल एवं सहायता में समुदाय को सक्षम बनाने में समुदाय के साथ संपर्क में रहते हैं। लेकिन, यह भी महसूस करते हैं कि हमें अपने कार्य के तौर तरीके बदलने होंगे, समुदाय की सहायता एवं एकजुटता के नए तौर तरीकों को बढ़ावा देना होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग करना होगा और समुदाय, सरकार एवं साझेदारों के बीच संबंध कायम करना होगा। इसलिए, हमने भावी मार्ग पर चर्चा के उद्देश्य से दो दिनों के लिए तीन पैनल बनाए हैं।"

मॉडरेटर जूही जैन ने पैनलिस्ट का परिचय कराते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वाटर फोर विमेन (डब्ल्यू.एफ.डब्ल्यू.)-डिपार्टमेंट फोर फोरेन अफेयर्स एंड ट्रेड (डी.एफ.ए.टी.), दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू में स्कूल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की फैकल्टी और छात्रों, आई.आई.एच.एम.आर. और जयपुर के विकास अध्ययन संस्थान का विशेष रूप से स्वागत किया।

मुख्य बिन्दु

डॉ. कजरी मिश्रा ने अपनी प्रस्तुति यह कह कर शुरू की कि कैसे कोविड-१९ महामारी के बाद वॉश (डब्ल्यू.ए.एस.एच.) के मुद्दे बदल गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वॉश से संबंधित सेवाएं सार्वजनिक सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मुद्दा है, इसलिए सभी बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की व्यवस्था के लिए राज्य द्वारा पहला कदम उठाना आवश्यक है। दूसरे, कोविड-१९ महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य एक प्राथमिकता है, इसलिए वॉश की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसे कोविड-१९ की रोकथाम के प्रयास का एक केंद्रीय हिस्सा बनाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा इस मुद्दे के बारे में व्यवस्थागत प्रयास आवश्यक है ताकि पूरी व्यवस्था साधन-सम्पन्न हो और संकट से निपट सके। इसको लेकर मिशन मोड में कार्य करना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इसमें व्यवस्था जिम्मेदारी नहीं लेती, बल्कि यह लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। वॉश के मुद्दे पर कोई एक क्षेत्रीय योजना कार्यशील साबित नहीं होगी, बल्कि सभी संबंधित व्यवस्थाओं का कन्वर्जेंस (अभिसरण) आवश्यक है ताकि लाभ सभी तक पहुंचे।

उन्होंने आगे कि सरकार का वॉश की सेवाओं पर समेकित दृष्टिकोण नहीं है। कोविड-१९ महामारी से सुरक्षा के लिए हाथों को धोना आवश्यक है, जिसका स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। चूंकि भारतीयों के एक बड़े वर्ग के पास बार-बार हाथ धोने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोविड-१९ की रोकथाम के प्रयास में सभी को प्राथमिकता के रूप में वॉश सेवाओं का महत्व समझाया जाना चाहिए। ऐसा करते समय हमें 'स्थानिक' असमानता और स्थानिक गरीबी के मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा ताकि हम सभी वर्गों के लोगों के लिए आवश्यक और बिना समझौता किए वॉश का एजेंडा सुनिश्चित कर सकें।

स्वच्छता के तरीकों को कैसे बढ़ावा दें, इस सवाल पर डॉ. मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक वॉश संबंधी सुविधाओं– बहते जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, स्वच्छता कर्मचारियों की देखभाल की जाए और स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएं। कोविड-१९ ने वॉश से संबंधित को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मजबूत करने की आवश्यकता को लेकर फिर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि हमारी सामूहिक पैरवी इस पर केंद्रित होनी चाहिए।

ए.के. गुप्ता ने शहरी गरीबों में प्रवासियों की दुर्दशा पर चर्चा की और तीन प्रमुख सरोकार रेखांकित किए। पहला, अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों में पूरे अनौपचारिक क्षेत्र के 80 प्रतिशत श्रमिक शामिल हैं। वे सड़क पर विक्रेता, घरेलू श्रमिक, कार-क्लीनर, दिहाड़ी मजदूर आदि हैं, जो भले ही सरकार को टैक्स नहीं देते, लेकिन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद से इस समूह ने घटती आय, बेरोजगारी, भोजन तक पहुंच के अभाव और जीवन निर्वाह के साधनों की कमी की भारी मुसीबतें झेलीं। इनमें से कईयों ने अपने गांवों के घरों पर लौटने का फैसला किया। लेकिन, हम सभी जानते हैं कि गांवों में कोई कार्य उपलब्ध नहीं है। सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बातें करती हैं, लेकिन यह कैसे होगा और किस तरह से प्रवासियों की सहायता की जाएगी, सरकार को इन सरोकारों के बारे में कदम उठाने होंगे एवं योजना बनानी होगी।

दूसरी समस्या हाथ में नकदी न होना है। अधिकांश प्रवासी किराए के मकान में रहते हैं और उनके पास आवश्यक नकदी या कार्य नहीं होता। उन्हें अपने मकान मालिकों को किराया चुकाना पड़ता है। श्रमिकों की पीड़ा में कमी लाने के लिए दिल्ली सरकार ने सामुदायिक रसोई स्थापित की और उनके रहने के लिए रैन-बसेरे खोले। लेकिन, हाथ में नकदी के बिना शहर में जीवन निर्वाह करना कठिन था और उन्होंने हजारों मील दूर अपने गांवों में वापस जाने का फैसला किया। उनके सामने न के बराबर परिवहन विकल्प उपलब्ध थे, जिसके चलते कई श्रमिकों ने पैदल चलने या अन्य तरीकों का सहारा लिया। परिणामस्वरूप, उन्हें अपने घरों तक पहुंचने के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

अंतिम, किंतु बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली की झुग्गी-बस्ती के संदर्भ में है। यहां की ७७७ झुग्गी बस्तियों में लगभग 30 लाख से अधिक निवासी रहते हैं। डी.यू.एस.आई.बी. इनमें शौचालय, फुटपाथ, नालियां, सामुदायिक हॉल, जल और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है ताकि इनके निवासियों को बुनियादी सेवाएं प्राप्त हो सकें। इन बस्तियों में 22,000 से अधिक डब्ल्यू.सी. सीटों के लगभग 627 शौचालय परिसर निर्मित किए गए। डी.यू.एस.आई.बी. ने इन परिसरों में कोविड-१९ के रोगियों, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष व्वस्था की। बुजुर्ग और ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इन टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में आरक्षित/विशेष सीटों की मांग कर रहे हैं, जिस पर चर्चा चल रही है। इस बारे में फैसले के बाद डी.यू.एस.आई.बी. जल्द ही कार्यान्वयन शुरू करेगा। इस एजेंसी ने 80 रैन-बसेरों और 15 पोर्टा केबिन शेल्टर का प्रबंधन किया, जहां बेघर और निराश्रित व्यक्ति रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सर्दियों में अधिक लोगों के रहने के लिए टेन्ट लगाए जाते हैं।

उपरोक्त तीन सरोकारों पर ध्यान देने के लिए ए.के. गुप्ता ने निम्नलिखित तीन कदमों का सुझाव दिया : एक, असंगठित क्षेत्र के लोगों, श्रमिकों, कमजोर लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, बुजुर्गों, महिलाओं और प्रवासियों के लिए समुचित योजना बनाने के लिए एक डेटा-बेस तैयार करना। दो, सरकार द्वारा उन प्रवासियों को रोजगार और काम के अवसर प्रदान करना, जो पहले ही अपने गांव में पहुंच चुके हैं। तीन, ऋण सुविधाएं देने के अलावा न्यूनतम गारंटीशुदा मूल्य पर दैनिक जरूरतों के उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं को बेचने वाली सहकारी समितियों और दुकानों की स्थापना करना ताकि वे कमा सकें एवं अर्थव्यवस्था में ठहराव में न आए।

डॉ. मोनिका चौधरी ने झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीबों के सामने जल, स्वच्छता और साफ-सफाई से संबंधित कार्यात्मक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-१९ महामारी ने सबसे बदतरीन मानवीय त्रासदी उजागर की और उन कमजोर स्थितियों को दर्शाया, जिसमें गरीब रहते हैं। अनेक स्तरों पर लोकतंत्र कार्यशील होने के बावजूद समुदाय को निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं दी गई है, जबकि सत्ताधारी लोगों की जमीनी हकीकतों, लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के बारे में कोई राय नहीं है। वर्तमान संकट इस बुनियादी असमता और हमारी व्यवस्थागत असमानता दर्शाता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे देश की पूरी आबादी में एक-तिहाई हिस्सा अनौपचारिक श्रमिकों का है। आजीविका के नुकसान के साथ वर्तमान संकट में प्रवासी श्रमिकों की संसाधनों तक पहुंच पर समुचित स्थानीय नियोजन और बॉटम-अप दृष्टिकोण के बिना उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। हम प्रवासी कामगारों को वह उचित दर्जा नहीं देते, जिसके वे हकदार हैं। उन्हें पंजीकृत किया जाना चाहिए ताकि वे सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें।

डॉ. चौधरी ने राजस्थान का उदाहरण दिया, जहां जल बहुत दुर्लभ संसाधन है। लेकिन, जल को स्थानीय स्तर पर प्रबंधित किया गया, लोगों ने संसाधनों की जिम्मेदारी ली और उनका प्रबंधन किया। अब सरकार जल संसाधनों का प्रबंधन करती है और लोगों के पास स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारी नहीं है। इस वज़ह से उन्होंने इस मुद्दे और उसके समाधानों से खुद को दूर कर लिया है। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि गांवों और शहरों में स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। हम भविष्य में लोगों की भागीदारी और जुड़ाव से एक बेहतर प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं।

वॉश से संबंधित सेवाएं और गरीबी अंतर-संबंधित मुद्दे हैं। एक समुचित आवास समाधान जल संकट और अन्य समस्याओं को हल कर सकता है। एक व्यापक समाधान के लिए अनेक प्रभावशाली कारकों पर कार्य करना होगा। खासकर, जल जैसे विषय पर शुरूआत में बॉटम-अप दृष्टिकोण आवश्यक है। हमें लोगों को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे अपने क्षेत्रों में जल एवं वर्षा का पैटर्न समझें और भाग ले सकें। आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 90 प्रतिशत लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, लेकिन सामुदायिक स्तर पर अनेक समस्याएं मौजूद हैं। लोगों की समस्याओं को दस्तावेजीकृत करना होगा और नीति निर्माताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात डेटा की है। लोग कैसे रहते हैं, उनकी बुनियादी आय, आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता तक पहुंच और उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं तक उनकी पहुंच कैसी है, जैसी सूचनाओं को विशिष्ट पहचान (यू.आई.डी.) से जोड़ा जाना चाहिए। डेटा के बिना कोई नीति परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि नीतिगत निर्णयों की सूचना देने के लिए साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण साधन है। डेटा के सभी बौद्धिक अधिकार समुदाय के पास हों और उनकी अनुमति के साथ उपयोग किए जाएं। डेटा एकत्र करना, जिम्मेदारी एवं विश्लेषण और समुदायों को अपने विकास का प्रबंधन करने देना सतत विकास की भावी दिशा में कार्य का एक बेहतरीन मॉडल होगा।

एलिसा पटनायक ने शहरी और ग्रामीण दोनों मुद्दों पर अपना कार्यानुभव साझा किया और कहा कि ग्रामीण स्थानीय प्रशासन शहरी स्थानीय प्रशासन से बहुत आगे था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नियोजन शुरू हुआ और शहरी क्षेत्रों में भी इसकी आवश्यकता थी। जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करते हैं तो उनका नाम उनके मूल स्थानों पर दर्ज किया जाता है, लेकिन जब वे शहरी क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तब ऐसा नहीं किया जाता। उन्होंने उनकी दर्दशा का वर्णन करते हुए कहा- "शहरी क्षेत्रों में उन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में जाना जाता है और उनकी बस्तियों को अवैध माना जाता है।"

ओडिशा सरकार की सहायता करने वाली मल-जल प्रबंधन पर तकनीकी सहायता इकाई (टी.एस.यू.) के एक अंग के रूप में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने बताया कि 80 प्रतिशत बीमारियां असुरक्षित जल और स्वच्छता की कमी का परिणाम थीं। कोविड-१९ के समय में जल और स्वच्छता सेवाओं के वितरण में विषमता थी। गरीबों को साबुन और जल से नियमित रूप से हाथ धोना एवं सामाजिक दूरी को बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो रही थी, जबकि विकलांगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समुदायों को अपर्याप्त वॉश-सेवाओं से दोहरा झटका लगा।

उन्होंने समाधान खोजने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा, आजीविका और आवास अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को जल एवं स्वच्छता के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हालांकि यह पहला चरण होगा, लेकिन दूसरे चरण में समुदाय के नेतृत्व में समाधान होंगे। उन्होंने कहा कि खामियों की पहचान की जाए और उन्हें स्थानीय एवं राष्ट्रीय अधिकारियों के समक्ष रखा जाए। इस बारे में निजी सेक्टर सहित सभी स्टेकहोल्डर के साथ मल्टी-सेक्टरल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें इन समाधानों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए एक मंच पर लाया जाए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन के दौरान मौजूदा सेवाएं, जैसे- शौचालयों का रखरखाव, जल सप्लाई और अपशिष्ट का संग्रह प्रभावित न हो पाएं।

अंत में, उन्होंने स्वच्छता कर्मचारियों की दुर्दशा पर चर्चा की, जो ओडिशा सहित हर जगह कोविड-१९ की रोकथाम के प्रयास में सबसे आगे रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें पी.पी.ई. किट प्रदान की और समय पर वेतन दिया। लेकिन, उन्होंने कहा- "यह पर्याप्त नहीं है। इन श्रमिकों को सुरक्षित एवं प्रेरित रखने के लिए और भी बहुत-कुछ करना आवश्यक है। आपदा-प्रवण क्षेत्र होने के नाते ओडिशा में जलवायु संबंधी खतरा और बीमारियां अक्सर होती हैं। कोविड-१९ महामारी सभी के लिए एक चेतावनी की तरह है। हमें बुजुर्गों, प्रवासी व्यक्तियों, विकलांगों, अन्य कमजोर समुदायों और समूहों की दुर्दशा का संज्ञान लेना होगा। वॉश प्रोग्रामिंग मानवाधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण पर आधारित और विकास-केंद्रित होनी चाहिए ताकि हाशिए पर जी रहे लोगों के विचार शामिल किए जा सकें।"

खुली चर्चा

इसके बाद चर्चा मे पैनलिस्ट ने सवालों के जवाब दिए। कुछ विशिष्ट सरोकार स्वच्छता कर्मचारियों के अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा, प्रवासी एवं निराश्रित आबादी वाले समूहों के लिए वॉश, सामुदायिक मंचों की साझेदारी में बेहतर वॉश सेवाओं के लिए सी.एस.आर. फंडिंग, शीर्ष निर्णय-कर्ताओं के साथ सामुदायिक नेतृत्व के डिजिटल कनेक्ट, कोविड-१९ की रोकथाम के प्रयास को समुदाय-केंद्रित बनाने और विभिन्न प्लेटफार्मों पर डेटा की गोपनीयता/डेटा की सुरक्षा की पैरवी को मजबूत करने से संबंधित थे।

पैनलिस्ट ने निम्नलिखित सुझाव दिए :

डा. कजरी मिश्रा ने सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वच्छता कर्मचारियों की संविदात्मक व्यवस्था को बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुनियोजित पैरवी आवश्यक है। नगरपालिका प्रशासन के स्तर पर स्वच्छता कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं विकसित करना महत्वपूर्ण है, जहां वे अपनी ड्यूटी के घंटों के दौरान अपनी स्वच्छता बनाए रख सकें। जल और स्वच्छता के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी विकल्पों को, विशेष रूप से जल संचयन, पुनर्चक्रण, पुनःपूर्ति और पारंपरिक जल भंडारण संरचनाओं को पुनर्जीवित करने जैसे क्षेत्रों में प्रवर्धित किया जाना चाहिए। इन्हें शहर की स्वच्छता योजनाओं में एकीकृत किया जाए। ग्रीन-ब्लू योजना का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मल-जल एवं अपशिष्ट के प्रबंधन के समय जल की कमी न हो और उसे स्वच्छ जल निकायों में डंप नहीं किया जाए। अधिकांश स्थानों पर पानी की कमी नहीं थी, उसका संकट मानव-निर्मित था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल की कमी दूर करने पर

ध्यान देना जल और स्वच्छता के बारे में समुदाय-स्तर पर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।

डेटा प्रोसेसिंग के मुद्दे पर उनका कहना था कि डेटा निजी है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित डेटा में गोपनीयता का सरोकार है, लेकिन इसके सार्वजनिक हित में होने के मद्देजर उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि डेटा का उपयोग खामियां दूर करने में नीतियों के निर्माण किया जा सके। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा- यदि किसी डेटा का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है या उसके परिणामों को प्रभावित करता है तो इसे निजी डेटा नहीं माना जा सकता।

अंत में, व्यवहारगत परिवर्तन रातों-रात नहीं होता। इसमें अत्यधिक परिवर्तन लाना होगा और इसको सतत रखने के लिए परिवर्तन की निगरानी की जानी चाहिए।

डॉ. मोनिका चौधरी ने इस पर जोर दिया कि स्वच्छताकर्मी कोरोना-योद्धा नहीं, बल्कि ऐसे पेशेवर हैं, जो जरूरत के समय में अपना कर्तव्य निभाते रहे और उन्हें महिमामंडित करने के बजाए हम उनकी गरिमा की रक्षा करें तथा उनका सम्मान करें। उन्होंने कहा कि बच्चे हर समाज में परिवर्तनकारी होते हैं। हम स्वच्छताकर्मियों के बच्चों के साथ मिल कर कार्य करें, जो अपने माता-पिता के साथ आत्म-सुरक्षा और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता की पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि डेटा को संरक्षित रखने के अनेक तरीके हैं। उन्होंने कहा- "इन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए और फास्ट-ट्रैकिंग एवं सेवाओं में सुधार के लिए साझा किया जाए। डेटा का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।"

ए.के. गुप्ता ने दृढ़तापूर्वक कहा कि सरकार को स्वच्छता कर्मचारियों की अपनी टीम नियुक्त करनी चाहिए। कारण यह है कि सरकार ठेकेदारों के जरिए श्रमिकों की भर्ती आउटसोर्स कर रही है, जिससे शोषण, असुरक्षित कार्य और कम मजदूरी की सांठगांठ की जड़ पनपती है। स्वच्छता कर्मचारियों का तब तक शोषण होता रहेगा, जब तक सरकार उनकी सेवाओं को नियमित नहीं करती और उन्हें अपने पेरोल पर नहीं रखती।

एलिसा पटनायक ने कहा कि कोविड-१९ के बाद से स्वच्छता कर्मचारियों को उनके काम के दौरान पी.पी.ई. किट दिए जाने के अनेक निर्देश थे, लेकिन सुरक्षा साधनों की उपलब्धता और खरीद महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिन्हें सरकार को कारगर बनाने की जरूरत थी। यह भी महत्वपूर्ण था कि श्रमिकों को इन साधनों के उपयोग के लिए तब तक प्रशिक्षित किया जाता, जब तक कि यह उनके दैनिक कार्य का एक हिस्सा नहीं बन जाता। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा भी आवश्यक है। शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) द्वारा उनकी सेवाओं का महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए और उन्हें गरिमा, सम्मान और नियमित सेवा शर्तें दी जाएं।

सिफारिशें

- वॉश से संबंधित मुद्दों के बारे में शहरी गरीबों के समक्ष चुनौतियों से नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराएं और कोविड-१९ की रोकथाम के प्रयास के अंग के रूप में उनको शामिल करने की पैरवी करें
- स्वच्छता कर्मचारियों के सुरक्षा के अधिकार का महत्व रेखांकित करें, उनके लिए पी.पी.ई. किट अनिवार्य करें और इनके उपयोग के लिए उन्हें उन्मुख करें।
- स्वच्छता कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और नौकरी की सुरक्षा दें।
- राज्यों में स्वच्छता कर्मचारियों का एक डेटा-बेस तैयार करें ताकि उनकी सहायता के लिए समन्वित योजना बनाई जा सके।
- प्रवासी श्रमिक जहां कहीं भी हों, उनका कौशल-विकास करें।
- उनके उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में उद्यमशील कौशल मजबूत करें और उनके विपणन में सहायता करें।
- स्वच्छता से जुड़ी आजीविका को शामिल कराने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) में सहायता करें।
- पी.पी.पी. मॉडल में स्वच्छता से जुड़े उद्यम के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के तहत अनुदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- निजी क्षेत्र के साझेदारों द्वारा कौशल विकास किया जा सकता है और वे बाजार के उत्पादों में भी मदद कर सकते हैं।
- शहरव्यापी स्वच्छता योजना पर विचार किया जाए और इसका अर्थ समाज के सभी वर्गों के लिए योजना बनाना हो।
- लचीले स्वच्छता बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा और आपदा के दौरान सतत घरेलू शौचालय जैसी सेवाएं आवश्यक हैं।
- जल-गुणवत्ता बढ़ाने और जल-जनित बीमारियों में कमी लाने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन दैनिक आधार पर किया जाए।

भुवनेश्वर और जयपुर से समुदाय की प्रतिक्रियाएं

सामुदायिक सरोकारों के बारे में लोगों को बातचीत करते हुए सुनना बहुत अच्छा लगा।

"पैनलिस्टों को हिंदी में बातचीत करते हुए सुन कर अच्छा लगा। सत्र दिलचस्प थे और हमने महसूस किया कि कोई यह स्वीकार कर रहा है कि समुदाय प्रतिदिन किन समस्याओं का सामना करता है।

असलम खान, आयोजन समिति के सदस्य, सुंदर नगर, जयपुर

मैं कभी भी इस तरह की बातचीत और बैठकों का हिस्सा नहीं था। लेकिन, राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक सरोकारों पर चर्चा के लिए एक मंच बनाने के लिए सी.एफ.ए.आर. को धन्यवाद। कुछ समाधानों को समय बीतने के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है।

रफीक खान, आयोजन समिति के सदस्य, सुंदर नगर, जयपुर

पैनलिस्टों ने लगभग सभी प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और संभावित समाधानों को कवर किया। मुझे लगता है कि कुछ समाधान, जैसे- अनुबंध श्रमिकों को नियमित करने में अधिक समय लगेगा और इस मुद्दे पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

वीरेंद्र साहू, झुग्गी-बस्ती विकास समिति, ब्रजलालपुरा, जयपुर

हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम अपने शहर और बस्ती में क्या कार्यान्वित कर सकते हैं। हमने अन्य अनेक लोगों के साथ जो सीखा, उसे साझा करना होगा। हम कुछ और सवालों के जवाब भी चाहते हैं।

हमें कुछ मुद्दों को गहराई से समझना होगा।

अनिल, ब्रजलालपुरा, जयपुर

समुदाय में आत्म-विश्वास और विश्वास जगाने और वॉश से संबंधित मुद्दों पर कार्य के लिए कौन-सी तत्काल कार्रवाई की जा सकती है? यह एक ऐसी चीज है, जिस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए और तत्पश्चात अपनाई गई रणनीतियों को गहराई से कुछ समझने में मदद मिलेगी।

नफीसा, सामुदायिक प्रबंधन समिति, शक्ति कॉलोनी जयपुर

एक अन्य विचार-गोष्ठी में अपने गांव के घर में वापस पहुंचे प्रवासियों के लिए डब्ल्यू.ए.एस.एच. (वॉश) की सेवाओं से संबंधित सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। हम पैनेलिस्ट्स के साथ परस्पर-चर्चा करना चाहेंगे।

सुनीता, सामुदायिक प्रबंधन समिति, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर

हम अपने सरोकारों और संवाद को साझा करने के लिए सीधे पैनलिस्टों से भी बातचीत करना चाहेंगे।

गोरा देवी, सी.एम.सी. सदस्य, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर

इस सत्र में जो कहा गया, हम उसे समझ और जुड़ पाए। सभी ने सहजता से संवाद किया। मॉडरेटर सत्र में प्रतिभागियों को जोड़ पाईं। हमें इसको छोड़ने का मन नहीं हुआ। उपयोग की गई भाषा आसान, समझने-योग्य और इंटर-एक्टिव थी। हम अपने समुदाय के बारे में कहानियां बताना चाहेंगे।

अनिल, वीरेंद्र साहू, असलम खान, रफीक खान, आयोजन समिति के सदस्य, सुंदर नगर, अनम, किशोरी समूह, शक्ति कॉलोनी, गोरा देवी, सामुदायिक प्रबंधन की सदस्य, ट्रांसपोर्ट नगर, नफीसा, शक्ति कॉलोनी, सिंगल विंडो फोरम की सदस्य, जयपुर

हम इस सत्र का हिस्सा बन कर बेहद खुश हैं। भाषा से संबंधित कुछ दिक्कतें अवश्य रहीं, लेकिन सत्र दिलचस्प था। हम अगली बार अपने समुदाय की कहानियां भी बताना चाहेंगे।

साबित्री परिदा, सिंगल विंडो फोरम की सदस्य, पिचुपडिया, भुवनेश्वर

विषय अच्छा था। बेहतर होगा कि जमीनी स्तर की समस्याओं पर चर्चा में एक समुदाय-स्तरीय प्रतिनिधि शामिल किया जाए। ऐसे मुद्दों पर चर्चा बहुत जरूरी है।

कुंतला प्रधान, स्वयं सहायता समूह की सदस्य, भुवनेश्वर

मुझे खुशी है कि पैनलिस्ट हमारे दिन-प्रतिदिन के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। संकट के इस समय में जब हम सभी संघर्ष कर रहे हैं तो इस तरह की चर्चाएं बहुत आवश्यक हैं। हमें समाधानों और अगले चरणों पर भी चर्चा करनी चाहिए।

प्रोभाती डाकुआ, स्वयं सहायता समूह, भुवनेश्वर

हम हाथ धोने और स्वच्छता के अन्य तौर तरीके अपनाने की बातचीत करते रहे हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में पानी का अधिक उपयोग होता है। पैनलिस्टों द्वारा इन समस्याओं के समाधान पर अधिक चर्चा करना आवश्यक है।

ज्योश्ना दत्ता, सामुदायिक प्रबंधन समिति, साबर साही, भुवनेश्वर

हम कुछ तात्कालिक समाधानों के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि महामारी, अपवर्जन (एक्सक्लुजन), बढ़ती गर्मी और कोई कार्य न होने के कारण समुदाय पीड़ा झेल रहा है। सत्र स्थानीय भाषा में और समावेशी तरीकों से आयोजित किए जाने चाहिए।

रफीक खान, सुंदर नगर, आयोजन समिति के सदस्य, जयपुर

बैठक अच्छी रही, लेकिन बेहतर होगा कि इसे ओडिया भाषा में आयोजित किया जाए ताकि हमारे लिए इसे समझना आसान हो। अधिक इंटर-एक्शन हमें अपने सरोकारों, समुदाय में समस्याओं और उनके समाधान पाने में मदद को लेकर चर्चा में मदद कर सकते हैं।
हम अन्य राज्यों में वॉश की सेवाओं के बारे में जानना चाहेंगे।

मीरांबिका नायक, सामुदायिक प्रबंधन समिति, दुर्गामंदप, भुवनेश्वर

अच्छा होगा, यदि हम विभिन्न राज्यों की अन्य बस्तियों में वॉश की सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इससे हमें इस महामारी के दौरान देश भर की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी।

मुन्ना प्रधान, सामुदायिक प्रबंधन समिति, दुर्गामंदप